संख्या–115 / 38–6–21–165एलसी / 2020

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव
गृह विभाग
उ0प्र0 शासन।

ग्राम्य विकास अनुभाग–6 लखनऊः दिनांक– 16 फरवरी, 2021

विषयः–बी0सी0–सखी (बिजनेस करेस्पाण्डेंट–सखी) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों की तैनाती के पूर्व पुलिस द्वारा सत्यापन कराये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराया जाना है कि प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में 01 बी0सी0–सखी तैनात किये जाने के संबंध में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा के अनुक्रम में शासनादेश सं0–165 / 38–6–2020–आर–165 / 2020 दिनांक 22.05.2020 द्वारा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा संचालित कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में 58 हजार ग्राम पंचायतों में बी0सी0–सखी को चयनित एवं प्रशिक्षित कर तैनात करने का निर्णय लिया गया है।

2– इस संबंध मे उल्लेखनीय है कि शार्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों को आरसेटी (Rural Self Employment Training Institute) द्वारा बी0सी0–सखी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के उपरान्त इन अभ्यर्थियों द्वारा आई0आई0बी0एफ0 (Indian Institute of Banking and Finance) द्वारा आयोजित सटिर्फिकेशन परीक्षा भी आरसेटी द्वारा सम्पन्न करायी जा रही है। परीक्षा उत्तीर्ण होने एवं तत्पश्चात् पुलिस द्वारा सत्यापन कराये जाने के उपरान्त बी0सी0–सखी के पद पर तैनाती की जानी है। अभी तक लगभग 7000 अभ्यर्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर परीक्षा पास कर चुके हैं।

3– बी0सी0–सखी का कम्प्यूटर से बना हुआ पुलिस सत्यापन आवेदन का प्रारूप वेब पोर्टल www.upsrlm.org पर उपलब्ध है। जिले के उपायुक्त

(स्वतः–रोजगार) द्वारा इसे अपने लॉगिन से एक्सेस कर pdf version download कर उनका प्रिंटआउट निकाला जायेगा। जिलेवार प्रत्येक उपायुक्त (स्वतः रोजगार) इन आवेदनों का प्रिंटआउट निकाल कर जिला–स्तरीय पुलिस अधिकारियों एवं सम्बंधित थानों से समन्वय करते हुए सत्यापन की प्रक्रिया को सम्पन्न करायेंगे। पुलिस सत्यापन के पश्चात् सत्यापन प्रारूप के भाग–1 एवं भाग–2 सम्बंधित पुलिस थानों से उपायुक्त स्वतः–रोजगार को वापस की जाएगी ताकि वे सत्यापित प्रारूपों को www.upsrlm.org पोर्टल पर अपलोड कर सकें। यह आवश्यक है कि भाग–3 सभी BC अभ्यर्थियों को पावती के रूप में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

3– अतः इस संबंध में अनुरोध है कि कृपया उक्त अभ्यर्थियों का पुलिस सत्यापन करने हेतु अपने स्तर से भी समुचित निर्देश निर्गत करना चाहें ताकि बी0सी0–सखी के पद पर इनकी तैनाती की कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

संख्या– 115 (1)/38–6–2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
(2) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(3) मिशन निदेशक– उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, लखनऊ।
(4) समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
(5) समस्त उपायुक्त (स्वतःरोजगार), उ0प्र0।
(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(विजय बहादुर वर्मा)
संयुक्त सचिव।